बॉलीवुड

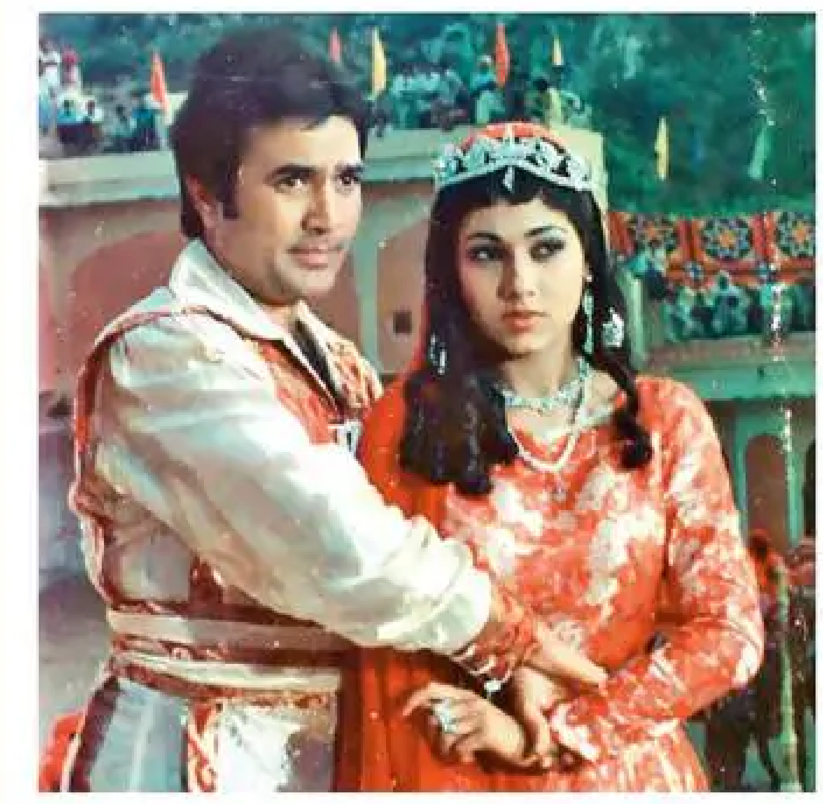

'फिफ्टी-फिफ्टी' के दौरान राजेश-टीना में थी खटपट, 3 साल बाद आए करीब

1981 में रिलीज हुई 'फिफ्टी-फिफ्टी' राजेश खन्ना और टीना मुनीम की साथ में पहली फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन शोमू मुखर्जी ने किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल हिट रही और इसे काका की कॉमिक टाइमिंग वाली फिल्मों में भी गिना जाता है। इसका निर्देशन खुद करने के लिए शोमू को प्रोत्साहित करने वालों में जॉय मुखर्जी भी शामिल थे। हालांकि, कई लोगों को हैरानी थी कि शोमू ने फिल्म में जॉय को कास्ट क्यों नहीं किया। हालांकि, शूटिंग के दौरान काका और टीना के बीच खास तालमेल नहीं था। उस वक्त टीना, संजय खान के साथ रिश्ते में थीं, जबकि काका की शादी डिंपल कपाड़िया से हो चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म रिलीज होने के करीब तीन साल बाद दोनों असल जिंदगी में एक-दूसरे के करीब आए थे।

रोचक फैक्ट

- *फिल्म के इंग्लिश टाइटल की स्पेलिंग को न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह पर कहानी को हिट कराने के लिए बदला गया था।*
- *राजेश के साथ 'छैला बाबू' बनाने के बाद शोमू और उनकी टीम दोबारा इस फिल्म के लिए साथ आई थी।*
- *फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और रंजीत के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया था।*

'रामायणम्: पार्ट 1' के अंत में हनुमान के रूप में दिखेगी सनी की ग्रैंड एंट्री

नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की 'रामायणम्: पार्ट 1' को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। 30 जुलाई को जारी पहले आधिकारिक ट्रेलर में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के रूप में नजर आए, लेकिन भगवान हनुमान बने सनी देओल को पूरी तरह छिपाकर रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने यह राज जानबूझकर बरकरार रखा है। फिल्म का अंत सनी की भव्य एंट्री और हनुमान के रूप में उनके अवतार से होने की चर्चा है। यह सीन क्लाइमैक्स के आखिरी हिस्से या मिड/पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेंस में दिखाया जा सकता है।

अभियुक्त व्यक्ति की हाज़िरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी/84 भा.न.स.स.देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **जगबीर सिंह** पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गाँव भाऊपुर, पानीपत, मंदिर के पास, पानीपत 132103 ने **सीटी केस संख्या 1622/2020 धारा 138 एनआई अधिनियम, थाना केपनके मार्ग, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है की किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ़्तारी के वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **जगबीर सिंह** मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है की उक्त अभियुक्त **जगबीर सिंह** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा की जाती है की उक्त अभियुक्त **जगबीर सिंह, सीटी केस संख्या 1622/2020 धारा 138 एनआई अधिनियम, थाना केपनके मार्ग, दिल्ली** न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **02.11.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेश से
श्री आकाश शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-03
उत्तर, कमरा नंबर 213, दूसरी मंज़िल
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

DP/12340/RD/2026

प्रियदर्शन की फिल्म में वन्य संरक्षक जिम से प्रेरित किरदार करेंगे अक्षय

अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन एक बार फिर साथ आ रहे हैं। दोनों की साथ में यह 9वीं फिल्म 1960 के दशक के भारत की पृष्ठभूमि पर बनी लाइट-हार्टेड कॉमिक थ्रिलर होगी। फिल्म में अक्षय का किरदार प्रसिद्ध शिकारी और वन्यजीव संरक्षक जिम कॉर्बेट से प्रेरित होगा। वह एक ट्रैकर और शिकारी की भूमिका में दिखेंगे, जो गांव को आदमखोर बाघों और तेंदुओं से बचाने के लिए हथियार उठाता है। बाद में जंगलों की कटाई और शिकारियों की क्रूरता देखकर उसका नजरिया बदलता है और वह जानवरों व प्रकृति का संरक्षक बन जाता है।

अक्षय स्टारर इस फिल्म की सबसे खास बात इसकी शूटिंग का तरीका होगा। प्रियदर्शन ने इस प्रोजेक्ट में भारी एआई या आर्टिफिशियल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। राजस्थान और गुजरात के घने जंगलों में स्टार्ट-टू-फिनिश शेड्यूल में इसकी शूटिंग की जाएगी। दर्शकों को स्क्रीन पर असली लोकेशन और जंगल का अनुभव मिलेगा। बता दें कि हालिया डार्क थ्रिलर 'हैवान' के बाद यह जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के लिए रोमांच और कॉमेडी का नया कॉम्बिनेशन लेकर आएगी।

अक्षय की इस फिल्म का प्री-प्रोडक्शन अक्टूबर में लोकेशन तलाशने के काम के साथ शुरू होगा, जबकि शूटिंग अगले साल जनवरी से शुरू की जाएगी। फिलहाल फिल्म की हीरोइन के लिए कास्टिंग की प्रोसेस जारी है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी सिर्फ आदमखोर जानवरों के शिकार और एक्शन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जंगल, वन्यजीव और इंसान के बीच बदलते रिश्ते भी इसकी कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। अक्षय जल्द ही इसके लिए तैयारियां शुरू करेंगे। यह इस साल तीसरी साझेदारी है जो उन्होंने प्रियदर्शन के साथ की है। दोनों इसे लेकर एक्साइटेड हैं।

'हुंकारः द रोर' का टीजर जारी, सच की लड़ाई दिखाएगी फिल्म

फातिमा सना शेख, अनीत पड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब स्टारर सीरीज 'हुंकारः द रोर' का टीजर रिलीज हो गया है। कहानी 17 साल की मीनू रावत के एक मशहूर और सम्मानित धार्मिक गुरु सुनील चाकोसी 'बापजी' पर लगाए गंभीर आरोप से शुरू होती है। यह आरोप जल्द ही बड़ी जांच में बदल जाता है और पूरे देश का ध्यान मामले पर टिक जाता है। टीजर में तीन किरदारों की झलक मिलती है, जो अलग-अलग मोर्चों पर सच सामने लाने की कोशिश करते हैं। फातिमा, एसीपी जसलीन सिंह के किरदार में हैं, जबकि एक वकील और पत्रकार भी मामले की तह तक पहुंचने नजर आते हैं। इस सीरीज में पुलिस जांच, कोर्टरूम ड्रामा और मीडिया ट्रायल को एक साथ दिखाया जाएगा। कहानी के जरिए सत्ता, प्रभाव और समाज की सोच से जुड़े पहलुओं को भी सामने लाने की कोशिश की गई है। करण डी. कापाड़िया, नित्या मेहरा और हीराज मरफातिया ने मिलकर इसका निर्देशन किया है।

फ्रंट पेज के शेष

होर्मुज़ में अमेरिकी अटैक; 20 की मौत, ईरान ने जॉर्डन में यूएस एयरबेस उड़ाया...

फिर बिगड़े बोल- 'हमारा कब्जा, होर्मुज अब से ट्रम्प स्ट्रेट होगा' : ▪ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार देर रात दावा किया कि कहा है कि होर्मुज पर अब अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने पोस्ट किया कि इसलिए अब से क्यों न इसका नाम 'ट्रम्प स्ट्रेट' कर दिया जाना चाहिए?

- इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल ने पूर्वी सीमा पर काफी पैट्रियट मिसाइलें तैनात की हैं। इनका निशाना ईरानी ठिकानों पर है।
- एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान रूस की मदद से सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है।

दुकान के उद्घाटन के आधा घंटे बाद दंपती ने फंदा लगा जान दी, 2 साल पहले किया था प्रेम विवाह...

वह अपने माता-पिता, पत्नी के साथ कबीरपुर में किराए के मकान पर रह रहा था। ऋतिक ने बुधवार को आईटीआई रोड पर करियाना की दुकान खोली थी। सुबह हवन पूजा के बाद सभी रिश्तेदार अपने घर लौट गए। ऋतिक के माता-पिता भी अपने-अपने काम पर गए थे। करीब आधा घंटे बाद ही उन्हें सूचना मिली की ऋतिक व सिमरन ने घर पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। रोहित ने बताया कि ऋतिक और सिमरन बेहद खुश दिख रहे थे लेकिन इतना बड़ा कदम किस लिए उठाया, समझ नहीं आ रहा।

दुकान खोलने के बाद खुश थे दोनों : रोहित ने बताया कि सिमरन व ऋतिक एक-दूसरे को करीब 12 साल से जानते थे। इन्होंने साथ पढ़ाई की थी। सिमरन सोनीपत के ही एक गांव की रहने वाली थी। 17 मई 2024 को दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उनकी कोई संतान नहीं थी। परिजनों और रिश्तेदारों के अनुसार, दोनों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद, तनाव या मानसिक परेशानी नहीं थी। दोनों खुशी से रह रहे थे और घटना वाले दिन भी प्रसन्न थे। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

सुसाइड नोट नहीं मिला, कारणों की जांच कर रहे

▪ *दंपती ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। यह कदम दोनों से किस कारण उठाया, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल परिजनों ने कोई कारण नहीं बताया है। जांच करके पूरी सच्चाई का पता किया जाएगा।*
-सुखबीर, सदर थाना प्रभारी सोनीपत।

दिल में छेद था, 13 साल में भी सर्जरी की डेट नहीं मिली, मौत...

इसके बाद तारीखें लगातार बदलती रहीं। एक बार भर्ती करने के बाद दांत में समस्या बताकर ऑपरेशन टाल दिया गया। परिवार ने इलाज कराकर दांत की समस्या भी दूर करा दी, लेकिन इसके बाद भी सर्जरी नहीं हुई। पिता मुकेश ने कहा- मैं 13 साल से एम्स के चक्कर लगा रहा हूं। दिल्ली आने-जाने और इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। पीएमओ में तीन बार शिकायत की, फिर भी बेटी का ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टरों की लापरवाही की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई चाहिए। गरीब जरूर हूं, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो जंतर-मंतर पर धरने पर बैठूंगा।

एम्स का दावाः 2017 में ही सर्जरी संभव नहीं मानी गई थी : एम्स के मुताबिक तन्वी को वीएसडी विद पल्मोनरी एट्रेसिया नाम की जटिल जन्मजात हृदय बीमारी थी। 2013 में सीटी एंजियोग्राफी और कार्डियक कैथीटेराइजेशन सहित कई जांचें हुईं। 2017 में चिकित्सकीय टीम ने बीमारी की जटिलता के कारण सर्जरी संभव नहीं मानी और मेडिकल मैनेजमेंट की सलाह दी। बाद में अन्य वरिष्ठ विशेषज्ञों ने भी यही राय दी। 24 अगस्त को भर्ती होने के बाद हार्ट-लंग ट्रांसप्लांट की संभावना जांची जा रही थी। एम्स ने इलाज और मौत के मामले की समीक्षा के लिए जांच समिति गठित की है।

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813
संपर्क नंबर: 96461-22955, 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या QQ- 2381/PO-P

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, बहुमंजिला इमारत, द मॉल, पटियाला, पीएसपीसीएल विनिर्देश संख्या QQ-2381/PSPCL/PO-P के अनुसार 11 केवी कम्पोजिट पॉलीमर डिस्क इंसुलेटर की खरीद के लिए ई-निविदा (E-Tender) आमंत्रित करते हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए, कृपया 04.09.2026 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

1079/12/2026-27/14812 **C848/26**

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
संपर्क संख्याः 96461-01251, ईमेल आईडीः- ase-it-erp@pspcl.in
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्याः 362 **दिनांकः 01/09/26**

उप मुख्य अभियंता/आईटी (एएंडपीएम) [Dy. CE/IT (A&PM)], भूतल 7-मंजिला इमारत, पीएसपीसीएल मुख्य कार्यालय, द मॉल, पटियाला द्वारा **SCADA नियंत्रण केंद्र और SOC जालंधर के लिए 50 Mbps और 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट लीज लाइन बैंडविड्थ सेवाएं और 128 Mbps पॉइंट टू पॉइंट लिंक प्राप्त करने के लिए** संक्षिप्त अवधि की खुली ई-टेंडर आमंत्रित की जाती है। विस्तृत एनआईटी और टेंडर विनिर्देशों के लिए कृपया 02.09.2026, दोपहर 1:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in पर जाएं।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो ऑनलाइन https://eproc.punjab.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

1079/12/2026-27/14801 **C844/26**

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल
ICAR-CENTRAL SOIL SALINITY RESEARCH INSTITUTE
Zarifa Farm, Kachhwa Road, Karnal - 132001 (Haryana)

F.N. W/ShedStructure/2026-27 **Date: 31.08.2026**

TENDER NOTICE

Director, ICAR-CSSRI, Karnal invites bids from the interested and eligible bidders for Tender No. 03/2026 for **Construction of shed structure (9.15 m x 4.60 m) for drip system at ICAR-CSSRI, Karnal.** For complete details and tender documents, website of ICAR-CSSRI, Karnal https://cssri.res.in and/or CPP portal https://eprocure.gov.in/epublish/app may please be visited.

Also, Institute invites bids for various renovation/construction activities at times. Interested bidders are advised to frequently visit the website for information.

Estate Officer

भास्कर CLASSIFIED

आवश्यकता
APPOINTMENT

पार्टटाइम

सुनहरा अवसर WORK FROM HOME JOBS भारत की नंबर-1.TELECOM 5G कंपनी पार्टटाइम SENDING-(MESSAGE CALLING) लड़के-लड़कियां,गृहिणी, स्टूडेंट कमाए(21,500-71,900) महीना लैपटॉप+मोबाइल मुफ्त NAME ADDRESS, QUALIFICATION Only Whatsapp:- 9117884249

ज्योतिष
ASTROLOGY

ज्योतिष

फीस नहीं इनाम लूंगा पंडित रविशंकर(गोल्डमेडलिस्ट) मनचाहा प्यार/शादी ग्रहक्लेश पति-पत्नी अनबन सौतन दुश्मन छुटकारा प्रेमविवाह घर बैठे सभी समाधान #9286387958

Notice : Ads have not been verified factually and Bhaskar does not stand responsible for the sales propositions.

pnb पंजाब नैशनल बैंक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...जिस नाम पर आप भरोसा कर सकते हैं! **ई-नीलामी सूचना**

कॉर्पोरेट ऑफिस: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच, SCO: 21, 22, पहली मंज़िल, सेक्टर 12, करनाल ईमेल: cs8260@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों के लिए ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी की तारीख और समय: 24.09.2026 (वीरवार) सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता (यों) एवं गारंटर (यों) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक /भारित है, जिसका रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा/ सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उससे संबंधित ऋणी(यों) एवं गारंटर (रों) से बैंक / सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जैसा है जहां है", जैसी है जो है तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। ऋणी(यों) एवं गारंटर (रों) से बैंक/सुरक्षित लेनदार का बकाया वसूला जा सके। आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका के अनुसार उल्लिखित होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

शाखा का नाम उधारकर्ता/गारंटर, खाते का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का विवरण (गिरवी रखी गई / मालिक का नाम) (संपत्ति(यों) के गिरवी रखने वाले)	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग अधिसूचना की तिथि बी) इस तिथि तक बकाया राशि सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि डी) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	ए) आरक्षित मूल्य बी) ईएमडी सी) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तारीख एवं समय
1. ब्रांच - एआरएमबी, करनाल उधारकर्ताः मेसर्स गुरदेव सिंह एंड संस (इसके प्रोप. गुरदेव सिंह पुत्र श्री शीशा सिंह, शॉप नंबर 60, अनाज मंडी निसिंग, डिस्ट्रिक्ट करनाल - 132024 के जरिए) श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री शीशा सिंह निवासी वीपीओ दुराना, तहसील अलेवा, जिला जींद, हरियाणा-126111, गारंटरः श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री शीशा सिंह निवासी बुड्ढा कॉलोनी, वीर सिंह कॉलोनी के पास और रोशन फ्रूट वाला के पास, गोंदर बाईपास, निसिंग, करनाल - 132024.	वीर सिंह कॉलोनी, निसिंग, जिला करनाल - 132024 के पास स्थित 42 कनाल-10 मरला ज़मीन में से 7/850 हिस्से (यानी 07 मरला) पर बना रिहायशी मकान। यह मकान श्री गुरदेव सिंह (पिता श्री शीशा सिंह) के नाम पर है और इसे टाइटल डीड नंबर 676 दिनांक 16.06.2006 के जरिए हासिल किया गया था, जो सब-रजिस्ट्रार निसिंग के यहाँ रजिस्टर्ड है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः रोशन लाल का मकान, दक्षिणः गली, पूर्वः किरण पाल का मकान, पश्चिमः गुरदेव सिंह का प्लॉट। **भार का विवरणः बैंक को किसी अन्य भार की जानकारी नहीं है।**	ए) 13(2) 03.08.2018 बी) रु. 37,42,021.79/- साथ ही 01.08.2018 से तय दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्च, जिसमें से अगर कोई रिकवरी हुई हो तो उसे घटा दिया जाएगा, सी) 10.06.2019 डी) भौतिक कब्जा	A) रु. 19,78,000.00 B) रु. 1,97,800.00 C) रु. 10,000.00	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
2. शाखा - एआरएमबी, करनाल उधारकर्ताः मैसर्स मधु ट्रेडिंग कंपनी (इसके मालिक श्री संजीव कुमार गुप्ता के माध्यम से, हनुमान गेट, शांति कॉलोनी, जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा - 135001 मेसर्स मधु ट्रेडिंग कंपनी अपने मालिकों के माध्यम से श्री संजीव कुमार, छत्ता बाजार, जगाधरी, जिला। यमुनानगर, हरियाणा - 135001 श्री संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल गुप्ता (श्री मदन लाल गुप्ता के समर्थक और कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नं. 1082, वार्ड नं. 11, डग्गन स्ट्रीट, जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा - 135001 श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल गुप्ता (श्री मदन लाल गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नं. 1082, वार्ड नं. 11, डग्गन स्ट्रीट, जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा - 135001 श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल गुप्ता (श्री मदन लाल गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नं. 201, दूसरी मंजिल, एसके टॉवर, नेल्सन स्क्वायर, छिंदवाड़ा रोड, नागपुर, महाराष्ट्र -440013, श्रीमती मधु बंसल पत्नी श्री गिरदारी लाल, (श्री मदन लाल गुप्ता की कानूनी उत्तराधिकारी पुत्री) निवासी मैसर्स विद्या सागर एंड संस करियाना मर्चेंट, डाकघर सुबाथू, जिला सोलन HP-173206 श्रीमती इंदु गुप्ता पत्नी श्री दवेन्दर गुप्ता (श्री मदन लाल गुप्ता की कानूनी उत्तराधिकारी पुत्री) पुत्री मैसर्स विद्या सागर एंड संस करियाना मर्चेंट, डाकघर सुबाथू, जिला सोलन HP -173206 श्रीमती सुमन गुप्ता पत्नी श्री लखन लाल (श्री मदन लाल गुप्ता की कानूनी उत्तराधिकारी पुत्री) निवासी मकान नं. डी130, सूरजमल विहार, आनंद विहार के पास, नई दिल्ली - 110092, श्रीमती विजय गुप्ता पत्नी श्री महावीर प्रसाद (श्री मदन लाल गुप्ता की कानूनी उत्तराधिकारी बेटी) निवासी कोठी नंबर 7323, सैनी विहार, फ़ेज़ 2, पीओ बाल्टाना, जिला SAS नगर, (पंजाब) - 140604 श्रीमती पूनम गुप्ता, पत्नी यशबीर बंसल (श्री मदन लाल गुप्ता की कानूनी उत्तराधिकारी/बेटी), निवासी मकान नंबर 1004, सेक्टर 8, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अंबाला सिटी, अंबाला (हरियाणा) - 134003	रिहायशी मकान नंबर सी-4/1082 प्रॉपर्टी ID नंबर 126C81U215 और नई प्रॉपर्टी ID नंबर 1KTCQ338 का दक्षिणी हिस्सा, जिसका माप 166 वर्ग गज है और जो डागन स्ट्रीट, जगाधरी यमुनानगर-जगाधरी म्युनिसिपल लिमिट्स, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर में स्थित है। यह प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड नंबर 972 तारीख 09.04.1959, रजिस्ट्रेशन तारीख 25.01.1960 के तहत श्री मदन लाल पुत्र करेशन चंद के नाम पर थी, जिसके कानूनी वारिसों का रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार, जगाधरी के पास विधिवत रूप से किया गया है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः उत्तर – 45'/श्रीमती मीना रानी की संपत्ति का हिस्सा, दक्षिण – 45'/श्री अनिल की संपत्ति, पूर्व – 33'3" जैन मंदिर आदि, पश्चिम – 33'3"/श्रीमती अनीता गोयल की संपत्ति। **भार का विवरणः बैंक को किसी अन्य भार की जानकारी नहीं है।**	ए) 13(2) 15.03.2019 बी) रु. 65,06,715.60, साथ ही 01.03.2018 से तय दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्च (अगर कोई रिकवरी हुई हो तो उसे घटाकर) सी) 16.07.2019 डी) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 16,14,000.00 B) रु. 1,61,400.00 C) रु. 10,000.00	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
3. शाखा - एआरएमबी, करनाल उधारकर्ताः मैसर्स केडी ओवरसीज (पार्टनर श्रीमती सत्या रानी पत्नी श्री बिशंभर लाल और श्रीमती सोनाली वर्मा पत्नी श्री साहिल वर्मा के जरिए) पोल्ट्री एरिया, साहिल पोल्ट्री फार्म के पीछे, नीलोखेड़ी, करनाल - 132117 श्रीमती सोनाली वर्मा, पत्नी श्री साहिल वर्मा, निवासी 110, वार्ड नंबर 6, पोल्ट्री एरिया, नीलोखेड़ी, करनाल श्रीमती सत्या रानी, पत्नी बिशंभर लाल वर्मा, निवासी 110, वार्ड नंबर 6, पोल्ट्री एरिया, नीलोखेड़ी, करनाल; श्री साहिल वर्मा, पुत्र श्री बिशंभर लाल वर्मा, निवासी 110, वार्ड नंबर 6, पोल्ट्री एरिया, नीलोखेड़ी, करनाल श्री बिशंभर लाल वर्मा, पुत्र श्री हंस राज वर्मा, निवासी 110, वार्ड नंबर 6, नीलोखेड़ी, करनाल	**संपत्ति नंबर 1:** दुकान नंबर 19-A (हिस्सा) का पूरा हिस्सा, जिसका माप 38.88 वर्ग गज है और जो नई अनाज मंडी, नीलोखेड़ी, करनाल में स्थित है। यह संपत्ति श्री बिशंबर लाल और श्रीमती सोनाली वर्मा के नाम पर है और इसकी सेल डीड नंबर 783/1 तारीख 13.06.2013 है, जो निलोखेड़ी के जॉइंट/सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है। सेल डीड के अनुसार इसकी माप और सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तर में 35' दुकान नंबर 18बी, दक्षिण में 35' दुकान नंबर 19बी, पूर्व में 10' दुकान नंबर 19A का बचा हुआ हिस्सा, पश्चिम में 10' सड़क। **भार का विवरणः बैंक को किसी अन्य भार की जानकारी नहीं है। नोटः मै. केडी ओवरसीज बनाम पंजाब नेशनल बैंक - SA/348/2024 का मामला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल-II चंडीगढ़ में लंबित है। हालाँकि, इस मामले में कोई रोक नहीं है।**	ए) 13(2) 22.12.2023 बी) रु. 14,05,64,698.80, साथ ही 01.12.2023 से तय दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्च (अगर कोई रिकवरी हुई हो तो उसे घटाकर) सी) 24.04.2024 डी) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 37,82,000.00 B) रु. 3,78,200.00 C) रु. 10,000.00	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
	संपत्ति नंबर 2: प्लॉट नंबर 21, डिटेंशन टैंक एरिया, वार्ड नंबर 6, नीलोखेड़ी, करनाल का पूरा हिस्सा (949 वर्ग गज)। यह प्रॉपर्टी श्री साहिल वर्मा पुत्र श्री बिशंबर लाल वर्मा के नाम पर है और इसका मालिकाना हक डीड नंबर 1562/1 दिनांक 09.12.2016 के तहत है, जो संयुक्त/उप-रजिस्ट्रार नीलोखेड़ी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है। सेल डीड के अनुसार इसका माप और सीमाएं इस प्रकार हैंः उत्तर - 46'16'' प्लॉट नंबर 14, दक्षिण - 46'16'' प्लॉट नंबर 21 का बाकी हिस्सा, पूर्व - 185' प्लॉट नंबर 20, पश्चिम - 185' सड़क। **भार का विवरणः बैंक को किसी अन्य भार की जानकारी नहीं है। नोटः मै. केडी ओवरसीज बनाम पंजाब नेशनल बैंक - SA/348/2024 का मामला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल-II चंडीगढ़ के समक्ष लंबित है। हालाँकि, इस मामले में कोई रोक नहीं है।**		A) रु. 61,72,000.00 B) रु. 6,17,200.00 C) रु. 10,000.00	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
4. शाखा - एआरएमबी, करनाल उधारकर्ताः श्रीमती बलविंदर कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह निवासी 408, शिवपुरी कॉलोनी, कांसेपुर यमुनानगर-135001 गारंटरः श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह निवासी 408, शिवपुरी कॉलोनी, कांसेपुर यमुनानगर - 135001	प्लॉट नंबर 146 के एक हिस्से पर बने रिहायशी घर का वह पूरा हिस्सा, जिसका माप 113.33 वर्ग गज (यानी 00K-04M) है। यह हिस्सा खेवट नंबर 362 min//359, खतौनी नंबर 608, खसरा नंबर 18//19(8-0) (खाना खस्त में) में शामिल 08K-00M का 4/160 हिस्सा है (जैसा कि 2021-2022 के जमाबंदी रिकॉर्ड में है)। यह संपत्ति मौजा कंसापुर मासूमा शिव पुरी कॉलोनी (जिसे सुंदर विहार के नाम से जाना जाता है), यमुना नगर में स्थित है और यमुना नगर-जगाधरी नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आती है। इसे श्रीमती बलविंदर कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह ने सेल डीड नंबर 437 (दिनांक 22.04.2014) के जरिए खरीदा था, जो संयुक्त/उप-रजिस्ट्रार जगाधरी के कार्यालय में पंजीकृत है। इसकी माप और सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तर- 30' प्लॉट नंबर 146 का बाकी हिस्सा (मालकिनः श्रीमती पूजा सचदेवा), दक्षिण- 30' गली (15 फीट चौड़ी), पूर्व- 34' प्लॉट नंबर 146 का बाकी हिस्सा (मालकिनः श्रीमती शाहजा बेगम), पश्चिम- 34' प्लॉट नंबर 147. **भार का विवरणः बैंक को किसी अन्य भार की जानकारी नहीं है, सिवाय पंजाब नेशनल बैंक के उस चार्ज (दावे) के जो उधारकर्ता(ओं) को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए है।**	ए) 13(2) 02.08.2016 बी) रु. 23,05,671/- साथ ही 01.08.2016 से तय दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्च अगर कोई रिकवरी हुई हो तो उसे घटाकर, सी) 05.01.2024 डी) भौतिक कब्जा	A) रु. 18,35,460.00 B) रु. 1,83,546.00 C) रु. 30,000.00	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
5. शाखा - एआरएमबी, करनाल उधारकर्ताः श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेम चंद वीपीओ भंभोल, तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर-135001 गारंटरः श्रीमती निशा रानी पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा वीपीओ, भंभोल, तहसील, जगाधरी, जिला यमुना नगर-135001	826.50 वर्ग गज का रिहायशी मकान, जो गाँव भंभोल, सब-तहसील सरस्वती नगर (मुस्तफाबाद), तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर की आबादी देह में स्थित है। यह मकान श्री प्रेम चंद के बेटे मनोज कुमार की मिल्कियत है (रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड नंबर 1385, तारीख 03-01-2018, जो सब-रजिस्ट्रार सरस्वती नगर (मुस्तफाबाद) के ऑफिस में रजिस्टर्ड है)। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः 96'- पिंकी देवी की प्रॉपर्टी, दक्षिणः 96' - सालभाग की प्रॉपर्टी, पूर्वः 77' 6'' इंच - पिंकी देवी की प्रॉपर्टी, पश्चिमः 77' 6" इंच - 12 फीट चौड़ी सड़क। **देनदारियाँः बैंक को किसी अन्य देनदारी की जानकारी नहीं है, सिवाय पंजाब नेशनल बैंक के उस चार्ज के जो उधारकर्ता को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए है।**	ए) 13(2) 06.09.2021 बी) रु. 24,90,952.36, साथ ही 01.04.2021 से तय दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्च (यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर), सी) 06.05.2024 डी) भौतिक कब्जा	A) रु. 32,15,700.00 B) रु. 3,21,570.00 C) रु. 50,000.00	24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

नोट : संपर्क व्यक्ति : पंजाब नेशनल बैंक, अधिकृत अधिकारी : श्री दीपक कुमार, मोबाइल : 7769988880, एआरएमबी, करनाल

नियम और शर्तेंः यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में बताए गए नियमों और शर्तों और नीचे दी गई अन्य शर्तों के अधीन होगीः
1. संपत्ति **"जैसी है जहाँ है"** और **"जैसी है जो है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेची जा रही हैं। **2.** ऊपर दी गई अनुसूची में बताई गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन इस घोषणा में किसी भी गलती, गलत बयान या जानकारी छूट जाने के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे। **3. नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से "ऑनलाइन" होगी। 4.** बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **https://pnb.bank.in** देखें। **5.** खरीदार घोषित किए गए व्यक्ति को घोषणा के तुरंत बाद खरीद राशि का बीस प्रतिशत जमा करना होगा। ऐसा न करने पर, प्रॉपर्टी को तुरंत दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा और फिर से बेचा जाएगा।

सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधार लेने वाले/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले ऊपर बताई गई रकम, साथ ही अब तक का ब्याज और अन्य खर्चों का भुगतान करें। ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और अगर कोई बकाया रकम बचती है, तो उसे ब्याज और खर्चों सहित वसूल किया जाएगा।

स्थान : करनाल दिनांक : 02.09.2026 प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक